

कार्यालय नगर निगम जयपुर हैरिटेज

जलेबी चौंक, बड़ी चौपड, जयपुर



क्रमांक

अधि0 अभि0 (मृ0) हैरिटेज/2022/116

दिनांकः 08.06.2022

सर्वरराधारण को सूचित किया जाता है कि इरा कार्यालय द्वारा जारी विस्तृत विज्ञप्ति क्रमांक 11 प्र. विनांक 08.06-22 जा नगर निगम जयपुर हैरिटेज की वेबसाईट www.jaipurmcheritage.org पर उपलब्ध है, के अनुसार मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2022-23 के अन्तर्गत लागू इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गांरटी योजना (IRGY-Urban) के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रबंधन हेतु इस जयपुर जिले की नगर निगम जयपुर हैरिटेज/नगर निगम ग्रेटर जयपुर/नगर परिषद कोटपूतली/नगर पालिका बगरू / बरसी / चाँम् / जोबनेर / किशनगढ-रेनवाल / कोटपूतली / पावटा-प्रागपुरा / फुलेरा / सांभरलेक / शाहपुरा / विराट नगर) में कार्मिक विभाग कि कार्मिक विभाग कि अधिराचना संख्या एफ 17 (4) डीओपी/ए-2/2014 दिनांक 11.01.2022 के अनुसार निम्न पदों के लिए संविदा पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आंमत्रित किये जाते है:-

निकाय का नाम नगर निगम जयपुर हैरिटेज/नगर निगम ग्रेटर जयपुर/नगर परिषद कोटपूतली/ नगर पालिका बगरू/बरसी/चौमू/ जोबनेर/किशनगढ-रेनवाल/कोटपूतली/	पद का नाम विरष्ठ तकनीकी सहायक किनेष्ठ तकनीकी सहायक लेखा सहायक	मानदेय प्रति माह 4000%/- 30000/- 25000/-	शैक्षणिक योग्यता सिविल अभियांत्रिकी में रनातकोत्तर/ रनातक डिग्री सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री/डिप्लोमा बी.कॉम/सी.ए. इन्टरमिडियेट (आई.पी.सी.) /ICWA(इन्टर) / कम्पनी सेकेण्डरी (इन्टर)
पावटा-प्रागपुरा / फुलेरा / सांभरलेक / शाहपुरा / विराट नगर)	MIS मैनेजर	25000/-	BCA
enedery indic duty	शहरी रोजगार सहायक	15000/-	रनातक + RSCIT कोर्स उत्तीर्ण

इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन मय स्वः प्रमाणित शैक्षणिक योग्यता / जाति प्रमाण-पत्र के दस्तावेजों सहित दिनांक 24.06. 2022 को सायं 6:00 बजे तक कार्यालय नगर निगम जयपुर हैरिटेज (IRGY-Urban) सेल में व्यक्तिशः / डाक से प्रस्तुत कर सकते है। डाक से भिजवाते समय यह सुनिश्चित कर लेवे कि डाक नियत तिथि व समय पर कार्यालय में पहुँच जावे। अन्तिम दिनांक 24. 06.2022 सायं 6:00 के पश्चात् व्यक्तिशः / डाक से प्राप्त होने वाले आवेदनों पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। विज्ञप्ति से संबंधित विस्तृत विज्ञप्ति/आवेदन पत्र/अन्य सूचनाएँ/निर्देश नगर निगम जयपुर हैरिटेज की वेबसाइट www.jajpurmcheritage.org पर उपलब्ध है।

जना समन्वयक

क्रमांक: IRGY-Urban / स.म. / 2022-23 /

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित है:-

दिनांक :-

- 1. श्रीमान् शासन सचिव महोदय/श्रीमान् निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
- श्रीमान जिला कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक, जयपूर। माननीय महापौर महोदया, नगर निगम जयपुर हैरिटेज।
- उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग जयपुर।
- मुख्य अभियंता(सिविल) / वित्तीय सलाहकार / परियोजना निदेशक / संयुक्त निदेशक (जन सम्पर्क) / एनालिस्ट कम प्रोगामर, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग राज. जयपुर।

आयुक्त, नगर निगम ग्रेटर जयपुर/नगर परिषद् कोटपूतली जयपुर।

अधिंशाषी अधिकारी, नगर पालिका बगरू/बस्सी/चाँमू/जोबनेर/किशनगढ—रेनवाल/कोटपूतली/पावटा—प्रागपुरा/ फुलेरा / सांभरलेक / शाहपुरा / विराट नगर।

मुख्य लेखाधिकारी, नगर निगम जयपुर हैरिटेज।

नोटिस वोर्ड जिला कलेक्ट्रेट जयपुर/नगर निगम जयपुर हैरिटेज/नगर निगम ग्रेटर जयपुर।

10. सम्पादक को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति न्यूनतम स्पेस में डीपीआर दर पर शीघ्र प्रकाशित करवाते हुए व्यय बिल मय समाचार पत्रों की 3 प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करें।

11. रक्षित पत्रावली।

आई.ए.एस. आयुक्त नगर निगम जयपुर हैरिटेज

कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक जयपुर राजस्थान

प्रारूप

			आवेदन पत्र			आवेदक का
1	आवेदक का नाम i	हिन्दी	: :		फोटो	
2	ii IN ENGLISH (C पिता / पति का ना	H i bert		***************************************		
3	ा IN ENGLISH (C. लिंग (पुरूष ∕ महिल	APITAL LETTEI	3) :			
5	पद का नाम जिसव जाति	हे लिए आवेदन र्				
6 7	आवादत वर्ग	कमांक	:	f		
	जन्म तिथि (संलग्न प्रमाण पत्र	कमांक	: माह :- दिनांक माह)			
9	आयु (01.01.2023) मूल निवास	को)	:			
10	स्थाई पता :-		:			
11	पत्र व्यवहार का पर	π· <u> </u>	÷			
12 13	मोबाईल नम्बर आधार संख्या	16	:-			
14 15	ई–मेल आईडी शैक्षणिक योग्यता		:		•••••	
15	(संलग्न प्रमाण पत्र	क मांक			7	
			बोर्ड / विश्वविधालय का	प्राप्तांक	प्रतिशत	अन्य
	शैक्षणिक स्तर	वर्ष	नाम			विवरण
माध्या	मिक	वर्ष	•			
माध्या सीनि	मिक यर सैकेण्डरी	वर्ष	•			
माध्यां सीनिः स्नातः	मिक यर सैकेण्डरी	वर्ष	•			
माध्यां सीनि- स्नातः डिग्री, स्नातः नोटः- कांट-	मिक यर सैकंण्डरी क /डिप्लोमा कोतर - समस्त संलग्न व -छांट, अशुद्धि होने केल पर कमांक अंकि	इस्तावेज स्व–हर पर एवं दस्तावेज त करें।	•	(plateuff) gl	ना चाहिए खंय की ह	विवरण
माध्यां सीनि- स्नातः डिग्री, स्नातः नोटः- कांट-	मिक यर सैकेण्डरी क /डिप्लोमा कोतर - समस्त संलग्न व	इस्तावेज स्व–हर पर एवं दस्तावेज त करें।	नाम	(plateuff) gl	ना चाहिए खंय की ह	विवरण
माध्यां सीनिः स्नातः डिग्री, स्नातः नोटः- कांट-	मिक यर सैकंण्डरी क /डिप्लोमा कोतर - समस्त संलग्न व -छांट, अशुद्धि होने केल पर कमांक अंकि	इस्तावेज स्व–हर पर एवं दस्तावेज त करें।	नाम	(plateuff) gl	ना चाहिए त्वंय की ह	विवरण
माध्यां सीनिः स्नातः डिग्री, स्नातः नोटः- कांट-	मिक यर सैकंण्डरी क /डिप्लोमा कोतर - समस्त संलग्न व -छांट, अशुद्धि होने केल पर कमांक अंकि	इस्तावेज स्व–हर पर एवं दस्तावेज त करें।	नाम	(plateuff) gl	ना चाहिए खंय की ह	विवरण

आवेदक के हस्ताक्षर

शंपथ

मैं यह सशपथ घोषणा करता / करती हूँ कि ऊपर वर्णित 1 लगायत 15 की समस्त जानकारी सही है, कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है। किसी भी प्रकार की असत्यता पाये जाने पर समस्त जिम्मेदारी मेरी स्वंय की होगी। जिला कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक जिला जयपुर का निर्णय मुझे मान्य होगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

प्राप्ति रसीद (कार्यालय उपयोग हेतु)

आवेदक पत्र नगर निगम जयपुर हैरिटेज	पुत्र/पुत्री/पत्नी, कार्यालय में दिनांक	श्री को	प्राप्त हुआ जिसका	का पद प्राप्ती कमांव	5	हेतु आवेदन है।
					प्राप्तकर्ता के हस्त	

परिशिष्ठ-41

1. 01.06.2002 को जीवित सन्तानों का विवरण:—

क्र. सं.	बच्चे / सन्तान का नाम	जन्म तिथि
1		STAT KING
2		
3		
4		-

2. 01.06.2002 के पश्चात् उत्पन्न बच्चों / सन्तानों का विवरण:--

क्र. सं.	बच्चे / सन्तान का नाम	जन्म तिथि
1		
2		
3		
4		

3.	कुल जीवित बच्चे/सन्तानें:	

हस्ताक्षर आवेदक का नाम व पूर्ण पता

कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक जयपुर राजस्थान

क्रमांकः IRGY-Urban / सं.म. / 2022-23 / 11 प

दिनांक:- 69.06.2022

''इन्दिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के विमिन्न पर्दों के लिये संविदा आधार पर सीधी मर्ती 2022

विस्तृत-विज्ञप्ति

मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार की बजट घोषणा 2022-23 के बिन्दु संo 6 पर की गई घोषणान्तर्गत "इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (IRGY-Urban)" विभागीय क्रियान्ययन एवं प्रबंधन हेतु स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर के पत्र क्रमांक एफ. 56 (क) () सी.ई./डीएलबी/ IRGY-Urban/2022-23/30025-30250 दिनांक 06.05.2022 के द्वारा जारी मार्गदर्शिका के बिन्दु संख्या 10 के अनुसार पत्र क्रमांक एस्टे/एम/एफ.10 ()/आरएमएस (टी)/डीएलबी/2022/3692-3724 दिनांक 31.05.2022 एवं एस्टे/एम/एफ.10()/आरएमएस (टी)/डीएलबी/2022/5818-51 दिनांक 01.06.2022 के निर्देशानुसार तथा कार्मिक विभाग राज0 सरकार की अधिसूचना संख्या एफ 17 (4) डीओपी/ए-2/2014 दिनांक 11.01.2022 की अनुपालना में जयपुर जिले की समस्त नगर निगम जयपुर हैरिटेज/नगर निगम ग्रेटर जयपुर/नगर परिषद कोटपूतली/नगर पालिका बगरू/बस्सी/चौँमू/जोबनेर/किशनगढ-रेनवाल/कोटपूतली/पावटा-प्रागपुरा/फुलेरा/सांभरलेक/शाहपुरा/विराट नगर) में कार्मिकों की नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई संविदा आधार पर/अनुबंध आधारित कार्मिकों का चयन करने हेतु निम्नानुसार आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

			_
27	गरओं	A T	विवरण:—

育.	यदनाम	No of	1	Gen	(UR)		1	E.	W.S.		İ	S	.C.			S	T.			0.1	3.C.			M				ontal Reserv	
₹İ.	10-553/61	post (S)	सामान्य	सा. म्	क्रिया	परि यक्ता	सामा-व	सा. म्	विभवा	परित यक्ता	सामान्य	सा <u>.</u> म्	विधवा	परित् यक्ता	सामान्य	सा. म	विधवा	परिः यक्ता	सम्बन्ध	#1. E	विधवा	परित सक्ता	सामान्द	मा. म	faunt	यरेर वक्ता	विशेष द्योगकातन	Ex-service Men	स्कर्ष रिस्ताबी
1	दरिष्ठ तकनीकी सहायक	11	4	1	-	-	1	-		•	2	1	g-	::-	1	•	-	- 1	2	1	-	-	١	-	-	7-	-	-	-
2	कनिष्ट तकनीकी सहायक (डिग्री)	22	7	2		2	2	1	-	-	4	1	-	-	3	1	-	-	5	2	-		1	-	-	-	-		-
3	कनिष्ठ तकनीकी सहायक (डिप्लोमा)	6	2	1			1	-	·	•,	1	-		-	I	-		•	ι				7-4			-	٠.		-
4	तेखा सहायक	18	6	2	-	-	2	1	i j. - .	-	3	1	- 1	-	2	1	•	-	4	1		Ŀ	1	.	-	-		•	-
5	MIS मैनेजर	18	6	2	-		2	1	•	-	3	ı,	-	-	2	1	•	***	4	1	2	-	1		-	1-	-	-	1 -
6	शहरी रोजगार सहायक	29	11	4	-	•	3	1		8-	5	2	•	٠.,	3	1	-0		6	2	-	٠.	ï			۱,	·	-	-

शैक्षणिक योग्यता एवं देय मानदेय-

क्र. सं.	पदनाम	न्युनतम शैक्षणिक योग्यता	प्रतिमाह मानदेय (संविदा पर)
1	वरिष्ठ तकनीकी सहायक	सिविल अभियांत्रिकी में स्वातकोत्तर /स्वातक दिनी	40000/-
2	कनिष्ठ तकनीकी सहायक	सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री / डिग्लोमा	
3		बी.कॉम/सी.ए. इन्टरमिडियेट (आई.पी.सी.)/ ICWA(इन्टर)/ कम्पनी सेकेण्डरी (इन्टर)	30000/-
4	MIS मैनेजर	BCA	
5	शहरी रोजगार सहायक	रनातक + RSCIT कोर्स उत्तीर्ण	25000/-
	ded der ilt tielde	रनातक न एउटा। कास उसाज	15000/-

इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन मय स्व-प्रमाणित शैक्षणिक/आयु/जाति प्रमाण पत्र/सन्तान संबंधी शपथ-पत्र/जन्म-प्रमाण पत्र/मूल निवासी प्रमाण पत्रों के दस्तावेजों सहित दिनांक 24.06.20१२ को सार्य 6:00 बजे तक कार्यालय समय में नगर निगम जयपुर हैरिटेज में IRGY-Urban CELL में व्यक्तिशः/रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। विस्तृत विज्ञिति/निर्देश कार्यालय जिला परियोजना सनन्वयक, नगर निगम जयपुर हैरिटेज के नोटिस बोर्ड एवं नगर निगम जयपुर हैरिटेज की वेबसाईट www.jaipurmcheritage.org पर देखी ज

शर्ते:- •

- 1. राज्य सरकार के द्वारा इन्दिरा गाँघी शहरी रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश इस विङ्गप्ति का भाग माने जावेगें।
- 2. इस योजना का प्रशासनिक विभाग,स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार है।
- 3. इस योजनान्तर्गत उक्त संविदा पदो के वर्ग के वर्गीकरण एवं संविदा अनुबन्ध के संबंध में कार्मिक विभाग,राजस्थान सरकार के द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना/आदेश/परिपत्र आदि के द्वारा प्रदत्त विभिन्न दिशा निर्देशों के तहत आरक्षण रोस्टर के अनुसार है।
- प्रदेश विमन्त दिशा ।नदशा के तहत आरक्षण रास्टर के अनुसार ह।

 4. इच्छुक अन्यर्थी को अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जिसमें आवेदित पद का नाम, पिता/पित का नाम, जाति मूल निवासी, आयु, जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, स्थायी पता, वर्ग जिसके लिये आवेदन किया गया है, मोबाईल नम्बर, ई—मेल आईडी आदि का अंकन करते हुए तथा जाति,मूल निवासी, आयु, जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, स्थायी पता, वर्ग तथा सन्तान संबंधी घोषण—पत्र आदि सभी दस्तावजों की स्वयं प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि संलग्न करेगें। आवेदन पत्र का प्रारूप नगर निगम जयपुर हैरिटेज (इन्दिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना—प्रकोध) कार्यालय में एवं नगर निगम जयपुर हैरिटेज की वेबसाईट <u>www.jaipurmcheritage.org</u> पर भी देखा जा सकता है। 5. जक्त संविदा सेवार्य पूर्णतया अनुबंध पर आधारित है जिसकी अविध वित्तीय 2022–23 वर्ष तक अर्थात् 31 मार्च, 2023 तक प्रथमतः प्रभावी होगी।
- यदि सेदायें संतोषप्रद नहीं रहती है तो अनुबंधित कार्मिक को कभी भी अनुबंध समाप्ति कर सेवा से पृथक कर दिया जावेगा।
- 7. पदों की संख्या घटाई बढाई जा सकती है।
- 8. आरक्षित वर्ग के लिये राज्य सरकार के नियमानुसार पद आरक्षित होगें एवं विशेष योग्यजन हेतु नियमानुसार आरक्षण देय होगा।
- 9. 1 जनवरी 2023 को आवेदन की न्यूनतम आयु 21 वर्ष व अधिकतम आयु 40 वर्ष मान्य होगी। 10. किसी मी तरह का विवाद होने पर अन्तिम निर्णय जिला कलेक्टर जयपुर एवं जिला कार्यकम समन्वयक जयपुर (IRGY-U) का मान्य होगा। तथा किसी भी तरह के विवाद कि स्थिति में न्यायिक क्षेत्र जयपुर जिला मुख्यालय होगा।

11. संविदा भर्ती पूर्णतया मैरिट पर आधारित होगी। इसके लिए साक्षात्कार का कोई प्रावधान नहीं है।

12. संविदा अभ्यार्थियों के प्राप्त आवेदनों के आधार पर संविदा पदों की पदवार निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मैरिट तैयार की जावेगी तथा सफल / चयनित अभ्यार्थीयों से अनुबंध उन्हें आवंटित संबंधित निकाय द्वारा किया जावेगा।

13. संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक के पद हेतु 80 प्रतिशत पद डिग्रीघारियों से तथा 20 प्रतिशत पद डिप्लोमाधारियों से भरे जावेगें।

14. एक अभ्यार्थी द्वारा केवल एक ही नगरीय निकाय में संविदा अनुबंध किया जावेगा अन्यथा सभी संविदा अनुबंध निरस्त कर दिये जायेगें। 15. OBC प्रमाण पत्र आवेदन की अन्तिम दिनांक 30.06.2022 से एक वर्ष से अधिक पुराना मान्य नहीं होगा एवं EWS का प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु वैद्य ही मान्य होगा।

16. शहरी रोजगार सहायक संविदा पद हेतु स्नातक + RSCIT उत्तीर्ण होना आवश्यक है परन्तु मैरिट लिस्ट का संधारण केवल स्नातक डिग्री के प्राप्तांक के आधार पर ही किया जावेगा। RSCIT हेतु मैरिट का कोई प्रावधान नहीं रखा जावेगा।

17. संविदा भर्ती वरियता के आधार पर की जावेगी तथा पदवार सभी पदों के लिये कुल पदों की पृथक-पृथक कमशः 20 प्रतिशत पदों की प्रतीक्षा सूची तैयार की जावेगी।

18. संविदा मर्ती हेतु कोई आवेदन शुल्क देय नहीं है अर्थात् आवेदन निःशुल्क किया जावेगा।

19. संविदा से मरे जाने वाले पदों की भूती जिले की समस्त स्थानीय निकायों के लिये नगर निगम जयपुर हैरिटेज/नगर निगम ग्रेटर जयपुर/नगर परिषद कोटपूतली/नगर पालिका बगरू/बस्सी/चौमू/जाबनेर/किशनगढ-रेनवाल/कोटपूतली/पावटा-प्रागपुरा/फुलेरा/सांभरलेक/शाहपुरा/विराट नगर) संविदा पदों के लिये की जा रही है।

20. संविदा भर्ती किये जाने के उपरांत नगरीय निकायों का आवंटन जिला कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक जयपुर द्वारा पदवार वर्गानुसार लॉटरी से किया जावेगा।

21. आवेदक का राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य होगा।

22. आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि .24.06.22 सायं 6:00 बजे तक रहेगी।

23. राजस्थान के अन्य पिछडा वर्ग, अति पिछडा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से

24. महिला हेतु रिक्तियों का आरक्षण कैतिज प्रवर्गानुसार सामान्य महिला 20 प्रतिशत, विघवा महिला 8 प्रतिशत एवं विवाह विधिन्न महिला 2 प्रतिशत होगा। महिला अभ्यार्थियों का आरक्षण उसके संबंधित प्रवर्ग में जिनकी वे महिला आवेदक है आनुपातिक रूप से समायोजित किया जावेगा।

- 25. स्पर्टीकरण किसी वर्ग अनारक्षित पद, सामान्य वर्ग / अनुसूचित जाति, अन्य पिछडा वर्ग, अति पिछडा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की पात्र एवं उपयुक्त महिला आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरूष आवेदक से भरा जावेगा। विवाहित महिला आवेदक का अपने पिता का नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछडा वर्ग / अति पिछडा वर्ग का नॉन किमीलियर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम एवं आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- 26. महिलाओं हेतु आरक्षित दर्शाए गए पदों में नियमानुसार विधवा महिलाओं के लिये पद आरक्षित है यदि विधवा महिलाएं पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होती है तो उनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की प्रथमत विवाह विधिन्न महिलाओं से एवं विवाह विधिन्न महिला उपलब्ध नहीं होने पर उस श्रेणी वर्ग की सामान्य महिला से भरा जायेगा। विधवा आवेदक होने की स्थित में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र आवेदन की अन्तिम तिथि से पूर्व का प्रस्तुत करना होगा एवं विवाह विक्रिन्न महिलाओं को न्यायालय द्वारा जारी तलाक की डिग्री प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

भूतपूर्वक सैनिक हेतु :

- 27. मृतपूर्वक सैनिकों के आश्रितों को मृतपूर्व सैनिकों के आरक्षण पद का लाभ देय होगा किन्तु उनके आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पद का लाभ देय नहीं होगा।
- 28. भूतपूर्वक रैनिक प्रतिरक्षा (थल, जल, वायु सेना) सेवाओं से सेवा मुक्ति के समय आवेदक का चरित्र अच्छा से कम नहीं होना चाहिए। जैसा कि उसकी सेवा मुक्ति में दर्शाया गया हो।
 29. प्रतिरक्षा रोवा से सेवामुक्ति के परवात किसी आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो उसे नियोजन के लिये अर्हत बना दें।

30. यदि किसी कारणवश भूतपूर्वक सैनिक कार्य ग्रहण नहीं करता है तो ऐसी स्थिति को नियमानुसार सामान्य प्रकिया के अनुसार भरा जावेगा।

अधिकतम आयु सीमा में छुट:-

(i) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग,आर्थिक रूप से कमजोर पुरुष अन्यर्थी के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी।

(ii) सामान्य महिला अध्ययीयों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी। (iii)अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग,आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थीयों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट रहेगी।

31. स्वास्थ्य – उक्त पद पर भर्ती के लिये उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व जिले के प्रमुख विकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख विकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

32. चरित्र – सेवा में सीधी भर्ती के लिये आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे की वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये योग्य हो सके। उसे सद्चरित का प्रमाण पत्र ऐसे विश्वविधालय, स्कूल या कोंलेज जहां उसने अनिम शिक्षा प्राप्त की हो, के प्रधानावार्य/शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रदल्त, प्रस्तुत करना होगा और दो ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होगें जो आयेदन पत्र की दिनांक से 6 महिने पहले के न हो और अभ्यार्थी के रिस्तेदार द्वारा दिये हुये नहीं हो।

नियुक्ति की अयोग्यएताएँ--

- 33. किसी भी ऐसे पुरुष आवेदक को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो चयनित किये जाने या नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा
- सकती है यदि सरकार संतु ट हो कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है। 34 किसी महिला आवेदक को जिसने उस पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित फर्नी हो नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी महिला आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट ट हो कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है।
- जा प्रचार है या परकार पतुर है है। कि एसा करने के लिये उनके अग्रीन है।

 35 ऐसा कोई भी अभ्याची जिसके 01062002 को या उसके परवात दो से अधिक संतान हो सेवा मैं नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। परन्तु 2 से अधिक बच्चे वाले आवेदक को नियुक्ति के लिये तब तक निरहरित नहीं समझा जावेगा जब तक की 1 जून 2002 को विदायन उसके बच्चों की सख्या में बढोतरी नहीं होती। परन्तु यह और के जहां किसी आवेदक के पूर्वतर प्रसाव से केवल एक बच्चा है

 किन्तु किसी एक परधावती प्रसाव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं और वहां बच्चों की सख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक कि की समझा जावेगा। MIN

36. जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता दिभाग के जाति प्रमाण पत्र निर्देश 09.09.2015 के अनुसार होगें।

जयपुर

क्रमोक: IRGY-Urban/संस./2022-23/ 115

दिनांक :- 08.06.2022

प्रतितिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- बीमान् शासनं सचिव महोदयं / बीमान् निर्देशक एवं संयुक्त सचिव महोदय स्वायत्त शासनं विनाग राज्य जयपुर । बीमान् जिला कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक, जयपुर ।
- माननीय महापौर महोदया नगर निगम जयपुर हैरिटेज।
- उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग जयपुर ।
- प्रभावस्तर्ण (च.च.प) रचापाच विभाग विभाग विभाग राज. जयपुर। 5. पुरुष अभियता(सिवित) / वित्तीय सताहकार / परियोजना निदेशक / संयुक्त निदेशक(जन सम्पर्क) / एनातिस्ट-कम-प्रोगामर,निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग राज. जयपुर।
- आयुक्त, नगर निगम ग्रेटर जयपुर/नगर परिषद् कोटपूतली जयपुर।

7.	Alastial Minary, 115 alician and Artif and Artiful Estated Another Anather Another Anatomy and Artiful Another
8.	मृख्य लेखाधिकारी, नगर निगम जयपुर हैरिटेज।
9.	नोटिस बोर्ड जिला कलेक्ट्रेट जयपुर/नगर निगम जयपुर हैरिटेज/नगर निगम ग्रेटर जयपुर।

10. सम्पादक कार्यालय में प्रस्तुत करें। 11. रक्षित पत्रावली। को मेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति न्यूनतम स्पेस में डीपीआर दर पर शीघ प्रकाशित करवाते हुए व्यय बिल मय समाचार पत्रों की 3 प्रति

नगर निगम जयपुर हैरिटेज